

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 2427]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2013/आश्विन 25, 1935

No. 2427]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2013/ASVINA 25, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3120(अ).--इस मंत्रालय की दिनांक 30 अगस्त, 2011 की अधिसूचना का.आ. सं. 2022 (अ) के अनुक्रम में और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, कृषि ट्रैलरों को केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 97 के उप-नियम (3) के कार्यक्षेत्र से दो और वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31 अगस्त, 2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बाहर रखने के लिए एतदद्वारा छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. आर.टी.11036/31/2010-एम.वी.एल.]

नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2013

S.O. 3120(E).—In continuation of this Ministry's Notification No. S.O. 2022(E) dated 30th August, 2011 and in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby exempts agricultural trailers from the purview of sub-rule (3) of rule 97 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 further for a period of two years i.e., up to 31st August, 2014.

[F.No.RT-11036/31/2010-MVL]

NIRAJ VERMA, Jt. Secy.

4435 GI/2013